



F-07-25
F-07-26

सेना उड्डनयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION

IS/ISO: 9001:2008

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु - 560 037
MARATHAHALLI COLONY P.O

BENGALURU - 560 037

टेस्ट हाउस अनुमोदन सं - 21 का संशोधन

Amendment of Test House Approval Number - 21

फर्म का नाम / Name of the Firm: मेसर्स ट्राइडेंट इन्फोसोल प्राइवेट लिमिटेड
बेंगलूरु- 560 058 /

M/s Trident Infosol Private Limited, Bengaluru - 560 058

यह घोषित किया जाता है कि मेसर्स एलिगेटर डिज़ाइन्स प्राइवेट लिमिटेड, 3 तल, ए ब्लॉक, # 1ए, कुशल गार्डन आर्केड, पीन्या इंडस्ट्रियल एरिया, बेंगलूरु - 560 058, को संदर्भ सं. सेमिलैक/6042 /टीएच-21/टीसीएंडएस, दिनांक 30 जून 2016 द्वारा टेस्ट हाउस अनुमोदन जारी किया गया था जिसकी वैधता 29 जून 2019 तक है।

This is to state that, the Test House Approval was issued to M/s Alligator Designs Private Limited, 3rd Floor, 'A' Block, # 1A, Kushal Garden Arcade, Peenya Industrial Area, Bengaluru - 560 058, vide Ref. No. CEMILAC/6042/TH-21/TC&S, dated: 30th June 2016 with validity up to 29th June 2019.

2. उक्त अभिकल्प अनुमोदन सं. 21 में कंपनी के पते पर निम्नलिखित संशोधन लागू होगा:

The following Amendment for change in Name of the firm is effected in the subject Test House Approval No. 21:

Wherever/ For	Read As
M/s Alligator Designs Private Limited 3rd Floor, 'A' Block, Kushal Garden Arcade, # 1A, Peenya Industrial Area Phase - II Bengaluru - 560 058	M/s Trident Infosol Private Limited 1st Floor, 'A' Block, Kushal Garden Arcade, # 1A, Peenya Industrial Area Phase - II Bengaluru - 560 058

3. फर्म के पत्र सं. टीआईपीएल/टेस्टहाउस/प्रमाणपत्र/2018, दिनांक 08 फरवरी 2018 द्वारा प्राप्त निवेदन के अनुसार टेस्ट हाउस के अनुच्छेद 2 को संशोधित किया गया है।

Based on request of the firm vide their letter No.: TIPL/TESTHOUSE/CERTIFICATION/2018, dated: 08th February 2018, the Test House Approval is amended as Para 2.

4. इस प्रमाणपत्र के परिशिष्ट 'ए1' में संशोधित प्राधिकृत हस्ताक्षर-कर्ता की सूची संलग्न है। अभिकल्प विशेषज्ञ, उनके नाम के आगे दर्शाए गए निश्चित कार्य क्षेत्र की रिपोर्ट में हस्ताक्षर करेंगे और उनके द्वारा हस्ताक्षरित रिपोर्ट ही सेमिलैक/ आर सी एम ए द्वारा स्वीकृत की जाएगी। फर्म के मुख्यस्थ को अनिवार्य रूप से यह सुनिश्चित करना है कि इस सूची के सभी सदस्यों का नाम फर्म के पंजी में पूर्णकालिक नियमित कार्मिक के रूप में होना है। अगर इस सूची में से कोई भी सदस्य फर्म छोड़ रहा है तो उनका प्राधिकरण तुरंत ही रद्द माना जाएगा।

Amended list of Authorized Signatories is placed as Appendix -'A1' to this Certificate. These Design experts will sign the reports on the areas of work defined against their names and the reports with their signatures only will be accepted by CEMILAC / RCMA's. The head of the firm has to mandatorily ensure that all the members of this list are on the rolls of the firm as full time regular employees. If any member of this list quits the firm, this authorization of individual shall stand cancelled with immediate effect.


5. परीक्षण कार्यक्रम एवं उसकी स्थिति का एक संक्षिप्त ब्योरा प्रत्येक छः (06) महीने की अवधि में नियमित रूप से सेमिलैक को भेजना होगा जो कि उत्तरवर्ती नवीकरण के लिए अनिवार्य है।

Regular forwarding of brief on Testing Activities under taken and its status at every six (06) months to CEMILAC is a mandatory requirement for subsequent renewal.

6. पूर्व घोषित अनुमोदन प्रमाणपत्र में उल्लेखित अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी।

All other terms and conditions quoted in the earlier Approval Certificate will remain unaltered.

संलग्न/ Encl.: परिशिष्ट 'ए1'/ Appendix 'A1'
संदर्भ सं / Ref. No. : CEMILAC/6042/TH-21/Amd-01/TC&S
दिनांक / Dated: 17 May 2018


पी . जयपाल/ P. JAYAPAL
उत्कृष्ट वैज्ञानिक / Outstanding Scientist
मुख्य कार्यपालक (उडनयोग्यता) /
Chief Executive (Airworthiness)

